कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या–9/उपा०कीट०अनु०–43/2012– /कृ0, पटना, दिनांक 2014.

प्रेषक,

धर्मेन्द्र सिंह, भा०प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

सेवा में,

मेसर्स कृषि रसायन एक्सपोर्टस प्रा0 लि0,
द्वारा–श्रीमती धर्मशीला देवी,
W/O श्री उपेन्द्र प्रसाद,
बड़ी पहाड़ी, अगमकुँआ, पटना।

कृ० प्र०
आगत 1678
दिनांक 20.11.14

विषय :– **कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति संख्या–167–168 दिनांक 04.07.2008 वैद्यता तिथि 31.12.2014 में इंडोर्समेन्ट के संबंध में।**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र, कोषागार चालान एवं अन्य सुसंगत कागजातों के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 के निहित प्रावधानों के आलोक में निम्नांकित स्वनिर्मित कीटनाशियों का इन्डोर्समेन्ट अनुज्ञप्ति संख्या–167–168 दिनांक 04.07.2008 वैद्यता तिथि 31.12.2014 तक में किया जाता है।

क्र0 सं0	कीटनाशी का नाम
1	Zineb 75% WP

2–उपरोक्त कीटनाशियों का प्रतिष्ठान द्वारा भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा– मेसर्स कृषि रसायन एक्सपोर्टस प्रा0 लि0, द्वारा–श्रीमती धर्मशीला देवी, W/O श्री उपेन्द्र प्रसाद,बड़ी पहाड़ी, अगमकुँआ, पटना।

3–यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4 अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/ भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5–भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6–अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7–नियम 10 बी0 के तहत् सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

8–अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेन्ट/बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरूद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

विश्वासभाजन,
ह0/–
(धर्मेन्द्र सिंह)
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

4948 दिनांक 13-11-14

प्रतिलिपि– (1) संयुक्त कृषि निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक (उपादान) बिहार, पटना/सहायक कृषि निदेशक (प्रसार) बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) उप कृषि निदेशक (सूचना), बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।